167

संख्याः-1212/XX(5)/16-21(ना0सु0)/2016

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड ,देहरादून।

गृह अनुभाग-5 देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2017

विषयः-नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-सीजी-208/होगा/2015/1190, दिनांक-24.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2015, दिनांक-26.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न बी0एम0-09 के अनुसार बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-06-लेखाशीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-106-सिविल रक्षा-03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद संख्या-09-विद्युत देय, 16-व्यावसायिक एवं 44-प्रशिक्षण व्यय मद में से, 08-कार्यालय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 03,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र), 13-टेलीफोन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50,000/-(रूपये पच्चास हजार मात्र) एंव 17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामि मद में प्राविधानित धनराशि रू0 70,000/-(रूपये सत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, साथ ही व्यय करते समय वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजंट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5- मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2016-17 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

क्रमशः-

7– कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विभागाध्यक्ष के स्तर से आहरण–वितरण अधिकारी/कोषागार स्तर को बजट तत्काल प्राप्त हो जाय।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा–03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित) के मद संख्या–08–कार्यालय, 13–टेलीफोन मद एंव 17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामि मद के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार बचतों से वहन किया जायेगा।

9– अलोटमेंट आई0डी0 S-R 1702060396------ आवंटन पत्र दिनांक–.13.02..2017 (पत्र के साथ संलग्न)।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–268 NP/XXVII(5)/2017, दिनांक–....08.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति व दी गयी शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– (1)/XX(5)/16–21(ना0सु0)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
7. निदेशालय, कोषागार, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–1/5
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।